(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	1/2023
दायर दिनांक	:	12.01.2023
निर्णय दिनांक	:	26.12.2023

उनवान

1. सतीश पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राह्मण, निवासी गोवर्धनपुरी गलता रोड़ जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सन्तोष कुमार पुत्र रामवतार जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बांसखो तहसील बस्सी जिला जयपुर
2. तहसीलदार दौसा

अप्रार्थीगण

—: प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ग्राम दलेलपुरा, तहसील दौसा, जिला दौसा के खसरा नम्बर 240/2 रकबा 0.67 है. बारानी प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2072 लगायत 2075 के अनुसार 2/67 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी नम्बर 1 से मनमुटाव होने के फलस्वरूप संयुक्त तौर पर शामिल में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी नम्बर 1 से तकास्मा करवाने की कही तो अप्रार्थी ने तकास्मा करवाने का आश्वासन देता रहा किन्तु दिनांक 20.12.2015 को अप्रार्थी नम्बर 1 ने तकास्मा करवाने से कतई इन्कार कर दिया एवं एलानिया धमकी दी कि वह वाद अधीन आराजी का ऐसे भूमाफियाओं को बेचान कर देगा जो तुम्हे मौके से बेदखल कर देंगे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी के हिस्सा कब्जा काश्त में ताफैसला वाद किसी प्रकार की मदाखलत पैदा नहीं करे और न ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट से करावे, रेकार्ड व मौका स्थिति यथावत् रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बावजूद सूचना के कोई जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है :—

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला :</u> पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 240/2 रकबा 0.67 है. वाके ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्व रिकॉर्ड में सतीश पुत्र भगवानसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण हिस्सा 2/67 एवं सन्तोष कुमार पुत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राह्मण हिस्सा 65/67 के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में संयुक्त रूप से साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

2. सुविधा का सन्तुलन : वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक पक्ष को पाबन्द किया जाता है, तो इस पक्ष को दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में संयुक्त रूप से साबित होता है।
3. अपूर्णीय क्षति : प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में सुयंक्त रूप से साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 को वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 240/2 रकबा 0.67 है॰ वाके ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा जिला दौसा की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)